(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 131 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48,49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्तमान दरमान की वैधता को, संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/48/2005-जेएनपीटी

आ दे श
(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने दिनांक 28 सितंबर 2006 के अपने आदेश के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) के वर्तमान दरमान को 31 मार्च 2009 तक की वैधता अवधि के साथ अधिसूचित किया था। वर्तमान दरमान की वैधता इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23 अक्तूबर 2009 के आदेश द्वारा 31 मार्च 2010 तक विस्तारित की गई थी।

2. दिनांक 29 अक्तूबर 2008 और 24 दिसंबर 2008 क`पत्रों के माध्यम से दरमान के सामान्य संशोधन के लिए जेएनपीटी द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव परामर्श के लिए ले लिए गए हैं। जेएनपीटी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण की जांच-परख हो रही है ।

3. चूंकि वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च 2010 को समाप्त हो रही है और इस प्रकरण को अंतिम रूप देने में अभी कुछ और समय लगेगा, यह प्राधिकरण वर्तमान दरमान की वैधता 30 सितंबर 2010 तक या जेएनपीटी के संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि इनमें से जो पहले हो, तक विस्तार प्रदान करता है ।

4. 1 अप्रैल 2010 के बाद वाली अवधि में ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसकी निष्पादनता की समीक्षा के समय वह अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में समायोजित किया जाएगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष